

सं0 सं0 14 / एम 11-3/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में ,

अधीक्षक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.8.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	ददन कुमार पिता—शारदा सिंह ग्राम—पो०—अन्छा थाना—दाउदनगर जिला—औरंगाबाद सीभीनं०—3245/13	हृदय रोग	₹ 90,000/—(नब्बे हजार) स्वीकृत।
2	हरेन्द्र पाल पिता—शंभु प्रसाद पाल ग्राम—सिलवटीया बडगो पो०—थाना—रामनगर जिला—प० चम्पारण सीभीनं०—19738/16	हृदय रोग	₹ 90,000/—(नब्बे हजार) स्वीकृत।
3	मंजु पाण्डेय पिता—सदानन्द पाण्डेय ग्राम—काजीपुर पो० बांकीपुर थाना—कदमकुंआ जिला—पटना सीभीनं०—2968/16	हृदय रोग	₹ 30,000/—(तीस हजार) स्वीकृत।
4	अयुब पिता—नौशाद अहमद ग्राम—सरारी नौका टोला पो०—मुस्तफाबाद थाना—गोरैया कोठी जिला—सीवान सीभीनं०—16613/15	हृदय रोग	₹ 40,000/—(चालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹० 2,50,000/—

[Handwritten signature]

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 388120 ...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10874584258, खाता धारक का नाम- AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतस्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388120 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1190 (14)

पटना, दिनांक 16.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
श्री. (निर्देश)

सं० सं० 14 / एम 11-3 / 16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.8.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अशोक मंडल पिता-सत्यदेव मंडल ग्राम+पो०-निर्मली थाना-पीपरा जिला-सुपौल यू.एचआईडीनं० -101590101	ब्रेन रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 50,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000 /-(पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388119 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-सी०ए० 10874584576, खाता धारक का नाम- AIIMS GAMMA KNIF PATIENT ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536),RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।



विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...388119.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-


ज्ञापांक - 1189(14)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक

16.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
पटना

पत्रांक 14 / एम 11-3 / 16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.8.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सुधीर यादव पिता-बासुदेव यादव ग्राम-भागवतपुर पो०-जीवछपुर थाना-छातापुर, जिला-सुपौल ओ०पी०डी०-101385777	नि रिपलेस्मेंट	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,50,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000 /- (एक लाख पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388118 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० - 10874584010, खाता धारक का नाम- निदेशक, अ० भा० आ० सं०, खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन



ह० /-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...388/18.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1188 (14)

पटना, दिनांक 16.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.8.16

सं० सं० 14 / एम 11-3/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 3.8.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	तारक नाथ झा पिता-मीनानन्द झा ग्राम-पो०-उधरा थाना-बहादुरपुर जिला-दरभंगा	सर्जरी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388117 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10874584247, खाता धारक का नाम-AIIMS CNC ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388117 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1187(14)

पटना, दिनांक 16.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
श्री. (सिन्हा)

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक
सर सुन्दर लाल हौस्पीटल
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी। -221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.8.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	हिमांशु कुमार पिता-कृष्णा भगत ग्राम-सखरा पो०-जैतपुर थाना-पारु जिला-मुजफ्फरपुर एमआरडीनं०-469652	ऐ-प्लास्टिक ऐनिमिया रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	संध्या देवी पति-उपेन्द्र कुमार सिंह ग्राम-जेवरी पो०-पचीलखी थाना-दुर्गावती जिला-भभुआ, कैमुर एम०आरडीनं०-454660	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	बेबी कुमारी पिता-राजु साह ग्राम-शेखौनामठ, लईया टोला पो०-पीपरा पकरी थाना-मुफस्लि बेतिया जिला-प० चम्पारण ओ०पी.डीनं०-1634/16	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
4	रविन्द्र नाथ कुशवाहा पिता-स्व. देवकी सिंह ग्राम-बसडीहा पो०-तिलौथु थाना-अमझोर जिला-रोहतास एमआरडीनं०-260450	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।

(Handwritten signature)

5	राज कुमारी देवी पति-दिनेश प्रसाद यादव ग्राम-भेरखीया पो0-टीकुलीया थाना-पीपरा जिला-पूर्वी चम्पारण एमआरडी-362139	कैंसर रोग	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
6	शिव नारायण कुमार पिता-रामबली यादव ग्राम-कोराप टोला, फतेहपुर पो0-गोरडीहा थाना-आंती जिला-गया ओ.पीडीनं0-4216 / 16	कैंसर रोग	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
7	दुलेश्वरी देवी पति-ओसीयर सिंह ग्राम-रतनपुरा पो0-बसही थाना-करगहर जिला रोहतास एमआरडीनं0-346376	कैंसर रोग	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
8	सुनैना देवी पति-चुमन पाण्डेय ग्राम-पो0-सोनवर्षा थाना-हरसिद्धी जिला-पूर्वी चम्पारण ओपीडीनं0-4256 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 7,15,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,15,000 /-(सात लाख पन्द्रह हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 388116 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 1065 4904 247 (स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), खाता धारक का नाम- कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता हैं।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

21/11/16
22/11/16

विश्वासभाजन

ह0 /-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...388116.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1186(14)

पटना, दिनांक 16.08.16

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री मदन मोहन तिवारी स०वि०स० बेतिया पता—सुप्रीय सिनेमा रोड प० चम्पारण / श्री श्याम बाबु प्रसाद यादव, स.वि०स० पता—दरोगा राय पथ 104 सी ब्लॉक पटना / श्री वशिष्ठ सिंह, स०वि०स० / सभी संबंधित मरीजों / आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21.08.16

सं० सं० 14 / एम 11-2/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान,
मुकुन्दपुर, कोलकत्ता 700099

पटना, दिनांक.....


विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 3.8.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	पारसमणि पाण्डेय पिता-केदार मणि पाण्डेय ग्राम-पो०-थाना-चान्दन जिला-बांका	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 388115 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50001127638 खाता धारक का नाम-"निदेशक, रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान, मुकुन्दपुर, कोलकत्ता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम-आर.टी.आई.आई.सी.एस.मुकुन्दपुर,ब्रांच RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212447 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।



विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...388115.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1185 (14)

पटना, दिनांक 16.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री गिरधारी यादव स०वि०स०. पता-बी 3/14 बेली रोड पटना / सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर, स्वा० विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
श्री. र. र. र.

पत्रांक 14 / एम 11-2 / 16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक,
क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज
आई०डी०ए०, स्कुडर रोड
पी० बी० नं०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 3.8.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सोनम पिता-बकिमचन्द्र यादव ग्राम-छोटी गोविन्दपुर पो०-थाना-जमालपुर जिला-मुंगेर हौस्पिटल नं०-611358 जी	Medical rehabilitation	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
2	दिपु कुमार यादव पिता-अर्जुन यादव ग्राम-खैराखुर्द पो०-सावकला थाना-आमस जिला-गया सीएम०सीन०-631772 जी.	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	सुमन्त कुमार पिता-अनिल प्रसाद ग्राम-हेलाजोत पो०-थाना-झाझा जिला-जमुई सीएमसीन०-446412 जी.	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,60,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,60,000/- (तीन लाख साठ हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० ~~388114~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10404158238, खाता धारक का नाम- C.M.C.Vellore Association, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस०बी०आई०, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता है।



- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- 5 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388114 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 16.08.16

ज्ञापांक - 1184(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
डा. आजाद हिन्द

सं० सं० 14 / एम 11-2 / 16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.8.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	श्रीकृष्ण झा पिता-स्व. जय नारायण झा ग्राम-रतनसार पो०-ग्वालपाड़ा थाना-छातापुर, जिला-सुपौल केस फाइलनं०-सी.एन/18007	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	शैलेन्द्र प्रसाद पिता-स्व. शिवनन्दन प्रसाद ग्राम-पलटपुर पो०-कटौना, थाना-कतरी सराय जिला-नालंदा केसफाइलनं०-सीएम/31644	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
3	द्वारिका यादव पिता-स्व. छोटन यादव ग्राम-बरही बीगहा पो०-थाना-घोषी जिला-जहानाबाद केसफाइलनं०-सीएल/13214	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
4	रत्नेश प्रसाद यादव पिता-स्व. देवी दयाल यादव ग्राम-हरिबोला पो०-थाना-कुमारखंड जिला-मधेपुरा केसफाइलनं०-सीएन/14745	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
5	अमोला देवी पति-अरविन्द शर्मा ग्राम-तरेत पो०+थाना-नौबतपुर जिला-पटना केसफाइलनं०-सीएल/1499	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।

21/8/16
12/7/16

6	शहाब असलम पिता-मो0 असलम ग्राम-कटहरबारी पो0-लालबाग थाना-वि0वि0 जिला-दरभंगा केसफाइलन0-सीएम/04817	कैंसर रोग	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,85,000/

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,85,000/- (तीन लाख पचासी हजार) रूपया का क्रास चेक सं0... 388113..... मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-


(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 16.08.16

ज्ञापांक - 1183 (14)

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री सिद्धार्थ सिंह विधायक विक्रम पता-8 बी0, राजेन्द्र नगर पटना 16/ श्री संजय सरावगी, स.वि.स, दरभंगा/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.1.16

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक / अधीक्षक
सफदरजंग अस्पताल,
रिंग रोड, नई दिल्ली-110029

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.8.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	हाकिम कुमार महतो पिता-श्री भगवान महतो ग्राम-शेखपुरा पो०-पकड़ीमहमद थाना-अमनौर जिला-सारण	हड्डी रोग	₹ 47,000/- (सैंतालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल रू० 47,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 47,000/- (सैंतालीस हजार) का क्रास चेक सं०.....388111
.....मूल रूप में संलग्न है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन


ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1181(14)

पटना, दिनांक 16.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.8.16

सं० सं० 14/एम 11-2/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 3.8.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	हरेन्द्र चौधरी पिता- सखीचन्द्र चौधरी ग्राम-डिहरा पो०-मुंजी थाना-काराकाट जिला-रोहतास सीआरनं०-2012478212	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	राज किशोर कुमार पिता-नथुनी भगत ग्राम-मझौलीया पोस्ट-ब्रह्मडा थाना-मीनापुर जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं०-2015658618	नस रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
3	साधना कुमारी पति/पिता-प्रेम भगत ग्राम-साहेबगंज पो०-मथुरा साहेबगंज थाना-बेलहा, जिला-बांका सीआरनं०-2016449618	हेपेटाइटिस बी रोग	₹ 30,000/- (तीस हजार) स्वीकृत।
4	सिन्दु कुमार पिता-बिट्टु कुमार ग्राम-खैराटाली पो०-मित्तनचक थाना-परसा बाजार जिला-पटना सीआरनं०-2016008416	सर्जरी	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।

21/11/16
22/11/16

5	रूना देवी पति-छोटा राउत ग्राम-बारबा शेख पो0-बेलवा मोड थाना-लौरिया जिला-प0 चम्पारण सीआरनं0-2016286674	पेट रोग	₹ 50,000 /--(पचास हजार) स्वीकृत।
6	सुम्मी तरन्नुम पिता-जरार अहमद अंसारी ग्राम-पो0+थाना-लौरिया जिला-प0 चम्पारण सीआरनं0-2015911020	कैंसर रोग	₹ 80,000 /--(अस्सी हजार) स्वीकृत।
7	आनन्द कुमार पाण्डेय पिता-ब्रज किशोर पाण्डेय ग्राम-मटीयार के टोला, जई छपरा, पो0-जई छपरा थाना-मांझी जिला-सारण सीआरनं0-2011763762	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000 /--(दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
8	राजेन्द्र सिंह पिता-राम वृक्ष सिंह ग्राम-नरहट पो0-सुरबाला थाना-जी0वी0नगर जिला सीवान सीआरनं0-2016529556	सर्जरी रोग	₹ 40,000 /--(चालीस हजार) स्वीकृत।
9	मुकेश कुमार पिता-जय राम राउत ग्राम-भलुआरी पो0-बरकी खरारी थाना-करगहर जिला-रोहतास सीआरनं0-2016523050	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /--(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 8,00,000 /--

- उक्त अनुदानों की कुल राशि ₹ 8,00,000 /--(आठ लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 388112.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

31/11/20

5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...388112.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1182(14)

पटना, दिनांक 16.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री विनय बिहारी विधायक, लौरिया बिहार विधान सभा / श्री वशिष्ठ सिंह, स.वि०स० / सभी संबंधित मरीजों / आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.8.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय
कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 3.8.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मजीद मियां पिता-भोज मियां ग्राम-रायबरबा टोला परसौनी पो०+थाना-साठी जिला-पो चम्पारण	हिप रिप्लेसमेंट	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
2	धर्मेन्द्र कुमार पिता-सुरेश सिंह ग्राम-सम्भुआ पो-टेरी, थाना-मेंहन्दिया जिला-अरवल	नी रिप्लेसमेंट	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,00,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 2,00,000 /-(दो लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388110.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200006844472 खाता धारक का नाम-"आस्था लोक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एच० डी० एफ० सी० बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।



4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...388110.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1180 (14)

पटना, दिनांक - 16.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.8.16

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट हॉस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 3.8.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र०सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	लाल मोहम्मद पिता-मो० सबीर ग्राम-महमदपुर निलामी पो०-महमदपुर थाना-बरौली जिला-गोपालगंज	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	अब्दुल माजिद खान पिता-स्व० ओलदाद खान ग्राम-बंगारी पो०-बसंत थाना-गरखा जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	प्रमीला देवी पति- कांग्रेस यादव ग्राम+पो०-डांडा थाना-जिला-बांका	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	मो० शोएब पिता-अब्दुल अजीज ग्राम-मनीयारपुर पो०+थाना-वारिसनगर जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
5	विशाल कुमार पिता-प्रभु दयाल राय ग्राम-फुलीया टोला पो०-मोबारकपुर थाना-फुलवारी, जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 70,000 /-(सतर हजार) स्वीकृत।
6	प्रभु नाथ सिंह पिता-स्व. परमानन्द सिंह ग्राम+पो०-लौवाकला थाना-बनीयापुर जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

12/11/16

7	रमेश कुमार पिता-राम लखन सिंह ग्राम-पो0-डुमरी थाना-बड़हीया जिला-लखीसराय	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
8	प्रकाश यादव पिता-चन्द्रमा यादव ग्राम-भरथुई पो0-धनवती थाना-धनौती जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹0 9,45,000 /

- उक्त अनुदानों की कुल राशि ₹ 9,45,000 /-(नौ लाख पैंतालीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388109 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु , बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388109 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1179 (14)

पटना, दिनांक 16.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.8.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,
श्री साई अस्पताल कंकड़बाग
लोहिया नगर पटना 800020

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.8.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	धीरज कुमार गुप्ता पिता-सूर्यदेव गुप्ता ग्राम-पो०-बेलाउर थाना-उदवनन्त नगर जिला-भोजपुर	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
2	मिथीलेश चौधरी पिता-प्रमोद चौधरी ग्राम+पो०-राम नगर दियारा थाना-अथमलगोला जिला-पटना	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
3	शारदा देवी पति-तिलक राम ग्राम-मानपुर पो०-साढ, थाना-सिरदला जिला-नवादा	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	अजय कुमार सिंह पिता-स्व. श्याम सुन्दर सिंह ग्राम-चौराही टोले मंगर बीगहा, पो०-चौराही थाना-हसपुरा जिला-औरंगाबाद	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,50,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388102 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 44072011000219 खाता धारक का नाम-"अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर० एन० कालोनी ब्रांच पटना-16, RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।

(Handwritten Signature)

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0. 388102...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1170 (14)

पटना, दिनांक 12.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
आ. व. नि. ६।

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक/अधीक्षक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....


विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.8.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	पंची देवी पति-राजेन्द्र मंडल ग्राम-भंडार पो०-संग्रामपुर थाना-चानन जिला-लखीसराय सीआरनं०-80490/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	फेकु ठाकुर पिता-स्व. बालदेव ठाकुर ग्राम-राजवाड़ा पो०+थाना-बरौली जिला-बेगुसराय सीआरनं०-95706/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	शान्ति देवी पति-द्वारिका राय ग्राम-जलालपुर काला पो०-बिशुनपुरा थाना-सिंघवलीया जिला-गोपालगंज सीआरनं०-49929/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	मनोरमा देवी पति-राकेश कुमार ग्राम-शिवदह, पो०-जलालपुर थाना-जी०बी०नगर जिला-सीवान सीआरनं०-101148/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

(Handwritten signature)

5	हाजरा खातुन पति-मो0 नजमुल हक ग्राम-कोइलवर बाजार पो0-थाना-कोइलवर जिला-भोजपुर सीआरनं0-104803 / 16	कैसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
6	राम दाय देवी पति-पिताम्बर मंडल ग्राम+पो0-हथौडी थाना-हायाघाट जिला-दरभंगा सीआरनं0-91281 / 16	कैसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
7	अजय कुमार झा पिता-मथुरा झा ग्राम-पो0-रजला थाना-कुढ़नी जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-58321 / 16	कैसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
8	उपेन्द्र शर्मा पिता-शिव प्रसाद शर्मा ग्राम-मानीकपुर-01 पो0-मानीकपुर थाना+जिला-मधेपुरा सीआरनं0-94260 / 16	कैसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
9	नीलु देवी पति-राज कुमार झा ग्राम-परसामहिन्द पो0-हरिबेला थाना-सोनवर्षा जिला-सीतामढी सीआरनं0-41991 / 16	कैसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
10	अभिनन्दन यादव पिता-शनिचर यादव ग्राम-डुमरीया वार्ड 11 पो0-कोल्हायपट्टी थाना-मुरलीगंज जिला-मधेपुरा सीआरनं0-50609 / 16	हृदय रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
11	रामसखी देवी पति-घरी राम ग्राम-सुजानपुर पो0-कौरैय थाना-गढ़पुरा जिला-बेगुसराय सीआरनं0-132858 / 15 	किडनी रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।

12	केशवर यादव पिता-इन्द्रासन यादव ग्राम-चाडवा पो0-चैनवा थाना-रसुलपुर जिला-सारण सीआरनं0-83954 / 16	हृदय रोग	₹ 1,25,000 / - (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
13	बैजन्ती देवी पति-अशोक सिंह ग्राम-पो0-कारठ थाना-तरारी जिला-भोजपुर सीआरनं0-104346 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
14	चन्दर पासवान पिता-स्व. सरयुग पासवान ग्राम-बाबुपुर पो0-किशनपुर थाना-वारिसनगर जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-79275 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
15	कलावती देवी पति-सुरेश मेहता ग्राम-बाहरी धवलपुरा पो0-बेगमपुर थाना-बाईपास जिला-पटना सीआरनं0-72473 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
16	राजेन्द्र शर्मा पिता-स्व0 भगवान शर्मा ग्राम-कसमर पो0-खरीका थाना-सोनपुर जिला-सारण सीआरनं0-103795 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
17	राज नन्दन प्रसाद यादव पिता-चन्द्रदेव यादव ग्राम-किला रोड पटना सिटी पो0-झाउगंज थाना-चौक जिला-पटना सीआरनं0-25650 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
18	असिन मियां पिता-दौलत मियां ग्राम-धुम नगर पुरवारी टोला पो0-धुम नगर कचहरी टोला थाना-नौतन जिला-प0 चम्पारण सीआरनं0-109743 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।


31/11/16

19	पानझरी देवी पति-राजेन्द्र महतो ग्राम-चकीया पो0-कोटवा पट्टी, रामपुर थाना-डोरीगंज जिला-सारण सीआरनं0-69413 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
20	उषा कुमारी पिता-अरूण कुमार ग्राम-फिटकीचक पो0-थाना-शेरघाटी जिला-गया सीआरनं0-86468 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
21	वीणा देवी पति-देव भुषण सिंह ग्राम-थाना-साहपुर पो0-दाउदपुर जिला-पटना सीआरनं0-106304 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
22	मेघनाथ महतो पिता-सुदर्शन महतो ग्राम-जुनेदपुर पो0-बिठुना थाना-बसंतपुर जिला-सीवान सीआरनं0-106804 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
23	सोनम कुमारी पति-अजय कुमार ग्राम-बिरनौधा पो0-गिरिधरा थाना-शंभुगंज जिला-बांका सीआरनं0-94664 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
24	मो0 खुर्शीद पिता-मो0 अबुल हसन ग्राम-एम0टी0एन. घोष रोड पो0-चम्पा नगर थाना-नाथ नगर जिला-भागलपुर सीआरनं0-74828 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
25	रंभा देवी पति-कमलेश शर्मा ग्राम-बाघा कोल पो0-पतुत थाना-रानी तालाब जिला-पटना सीआरनं0-91576 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।

(Handwritten signature)

26	रंजीत कुमार ठाकुर पिता-युगेश्वर ठाकुर ग्राम-चकलालसाही पो0-पी0 हलई थाना-ताजपुर जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-103575 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत ।
27	मीना देवी पति-अशोक सिंह ग्राम-गराई बीगहा पो0-धनवां थाना-हिसुआ जिला-नवादा सीआरनं0-100922 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत ।
28	राज कुमार घोष पिता-रवि घोष ग्राम-खगरा 03 नं0 गेट पो0+थाना+जिला-किशनगंज सीआरनं0-56908 / 16	मुत्र रोग	₹ 20,000 / -(बीस हजार) स्वीकृत ।
29	मुरती देवी पति-अधिक लाल यादव ग्राम-हडरी पो0-बसखोरा थाना-मरौना जिला-सुपौल सीआरनं0-87459 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत ।
30	राम जिनीस राउत पिता-स्व. नेवा लाल राउत ग्राम-काशोपुर पोस्ट-बैरिया थाना-पुरनहीया जिला-शिवहर सीआरनं0-114083 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत ।
31	रेणु देवी पति-सत्येन्द्र कुमार सिन्हा ग्राम-धुधुआ पो0-दौलतपुर थाना-मुफसिल जिला-भोजपुर, आरा सीआरनं0- 85502 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत ।
32	सुनीता मारण्डी पति-राज कुमार मुरमु ग्राम-दुध घटीया पो0+थाना-फुल्ली डुमर जिला-बांका सीआरनं0-99717 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत ।

21/11/16

33	अनिल पासवान पिता-उमा शंकर पासवान ग्राम-फुलहारा पो0-विदुपुर आर0एस0 थाना-राजापाकर जिला-वैशाली सीआरनं0-59329 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत ।
34	अनिता देवी पति-योगिन्द्र कुमार यादव ग्राम+पो0-सलेमपुर थाना-मुफसिल जिला-भोजपुर, आरा सीआरनं0-6827 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत ।
35	सुल्ताना परवीन पति-मो0 शहजाद ग्राम-गढ़ पो0+थाना-शेरघाटी जिला-गया सीआरनं0-93369 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत ।
36	शिवनाथ सिंह पिता-मधुसुदन सिंह ग्राम-बिसैनी बड़का गांव पो0-इटहट थाना-रिसियप जिला-औरंगाबाद सीआरनं0-98701 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत ।
37	उषा देवी पति-सुबोध प्रसाद सिंह ग्राम-पो0-पकरा थाना-नवगछीया जिला-भागलपुर सीआरनं0-104018 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत ।
38	सुकेसरा देवी पति-राम गहन सिंह ग्राम-राम नगर कुंजन टोला पो0-अलीपुर थाना-चांदी जिला-भोजपुर सीआरनं0-83568 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत ।
39	लालती देवी पति-राजभुवन राय ग्राम-पो0-सबलपुर थाना-दीदारगंज जिला-पटना सीआरनं0-104395 / 16 	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत ।

40	गायत्री देवी पति-संतोष कुमार वर्मा ग्राम-पो0-भदेजी थाना-मुफसिल जिला-गया सीआरनं0-80084 / 14	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
41	उर्मिला देवी पति-स्व. कृष्ण कुमार राय ग्राम-दक्षिणी धमौन पो0-धमौन, थाना-पटोरी जिला-समस्तीपुर सी.आरनं0-27580 / 16	हृदय रोग	₹ 65,000 /-(पैंसठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 24,90,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 24,90,000 / - / - (चौबीस लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388103 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं० शेखपुरा पटना 800014 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं० मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।
- मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।



विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...388103...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1171 (14)

पटना, दिनांक 12.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री जितेन्द्र कु० राय, स०वि०स० मढ़ौरा, पता-श्री नन्दन पथनगरपालिका चौक से पश्चिम छपरा / श्री कपिलदेव कामत मंत्री, पंचायती राज विभाग बिहार विधान सभा पटना / श्री आलोक कुमार मेहता मंत्री सहकारिता विभाग पता कमरा नं० 258 विकास भवन नया सचिवालय पटना 800001 / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21/8/16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.8.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	संगीता कुमारी पति-अनुज कुमार सिन्हा ग्राम-बुधौल पो०-गोनावा थाना+जिला-नवादा	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
2	प्रभाकर कुमार राय पिता-महेन्द्र प्रसाद राय ग्राम+पो०-उत्तरी धमौन थाना-पटोरी जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	पुजा देवी पति-रवि रंजन कुमार सिंह ग्राम-पकरी नरोतम पो०-सतजोरा थाना-पानापुर जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 70,000/- (सत्तर हजार) स्वीकृत।
4	सिकेन्द्र पटेल पिता-बिकाऊ चौधरी ग्राम-बनचहरी पो०-परसा थाना-बगहा जिला-प० चम्पारण	हृदय रोग	₹ 70,000/- (सत्तर हजार) स्वीकृत।
5	पुष्पा कुमारी पिता-मनोरंजन कुमार ग्राम-भीमपुरा पोस्ट-बागा थाना-अजीमाबाद जिल-भोजपुर, आरा	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।

31/11/17
11/11/17

6	अजय पाठक पिता-स्व. विश्वनाथ पाठक ग्राम-बनौली पो0-जयमल डुमरी थाना-सरैया जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
7	रामाकान्त मालाकार पिता-रामचन्द्र भगत मालाकार ग्राम-चुनौटी कुंआ पो0-फुलवारीशरीफ थाना-फुलवारी जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
8	राम स्वार्थ मिश्रा पिता-स्व. लालदेव मिश्रा ग्राम-बिश्नुपुर सुमेर पो0+थाना-कांटी जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
9	उर्मिला देवी पति-माया राय ग्राम-विशुनपुर पो0-माधोपुर थाना-अकिलपुर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
10	योगेश शर्मा पिता-स्व0 मन्दीप शर्मा ग्राम-उसरीडीह पो0-उसरी थाना-मेंहन्दियां जिला-अरवल	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
11	अशोक राम पिता-स्व. सुकदेव राम ग्राम-डा0 अम्बेदर कालोनी बसबडीया, पो0-बेतिया थाना-नगर, जिला-प0 चम्पारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
12	बिजेन्द्र यादव पिता-स्व. नेपाली राय ग्राम-जगनपुरा पो0-न्यु नजगनपुरा थाना-रामकृष्णा नगर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
13	अर्जुन प्रसाद पिता- हरि प्रसाद ग्राम-समादार पथ कदमकुंआ पो0-थाना-कदमकुंआ जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

(Handwritten signature)

14	इच्छा रानी पति-सुहावन कुमार ग्राम-सुलेमानपुर पो0-इतासंग थाना-रहुई जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
15	गनौर राय पिता-बेचन राय ग्राम-पो0-उफरौल थाना-देसरी जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।
16	अनिता देवी पति-रविन्द्र यादव ग्राम-पो0-धनौजा थाना-फुलपरास जिला-मधुबनी	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
17	रनिता देवी पति-मनोज यादव ग्राम-खैरा लेवार पो0-बटिया थाना-सोनो जिला-जमुई	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
18	जीमल अख्तर पिता-अली हसन ग्राम-हथुवाभुना पो0-थाना-रौटा जिला-पूर्णिया	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
19	मोतीलाल प्रसाद कुशवाहा पिता-स्व. गणेश प्र० कुशवाहा ग्राम+पो0-सिंहपुर हरैया थाना-रक्सौल जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 18,60,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 18,60,000/- (अठारह लाख साठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388107.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 16590200000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु , बैंक का नाम-इन्डियन ओबरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

31/10/12
11/11/10

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388107 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

1172(14)

पटना, दिनांक 12.8.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री अब्दुल जलील मस्तान, मंत्री निबंधन विभाग / सभी संबंधित मरीजों का / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.8.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक,
आल इंडिया इंस्टीच्युट आ० मेडिकल साइंस,
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 3.8.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	धीरज सिंह पिता-उमेश सिंह ग्राम-पो०-डुमरा थाना-जामो बाजार जिला-सीवान	हड्डी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
2	सुनील साह पिता-युगल साह ग्राम-पो०+थाना-बड़हीया जिला-लखीसराय	हिप रिप्लेस्मेंट रोग	विशेष परिस्थिति में ₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
3	गुलाबी देवी पति-राम उचित प्रसाद ग्राम-बसार बीगहा पो०-थाना-सोहसराय जिला-नालंदा	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	समुद्री देवी पति-वेश लाल यादव ग्राम-करदाहा पो०-डिहरी थाना-नौबतपुर जिला-पटना	हड्डी रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
5	देव चन्द चौधरी पिता-स्व. सीता राम चौधरी ग्राम-खेमकरन सराय, कुर्था पो०+थाना-कुर्था जिला-अरवल	हिप रिप्लेस्मेंट रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,80,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 2,80,000/- (दो लाख अस्सी हजार) मात्र का क्रास चेक सं०... 388105
.....मूल रूप में संलग्न है।

31/8/16
12/9/16

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-


(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1175 (14)

पटना, दिनां 16.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री जनार्द सिंह, सांसद महाराजगंज पता-मिश्रवलीया टोला जलालपुर बाजार छपरा / श्री सिद्धार्थ सिंह विधायक विक्रम पता-8 बी0, राजेन्द्र नगर पटना 16/ सभी संबंधित मरीज/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.8.16

सं० सं०- 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक,
एस.एस. हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 3.8.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मास्टर गणेश कुमार पिता-शंकर कुमार ग्राम+पो0-जगतपुर थाना-चंडी जिला-नालंदा	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	बेबी कुमारी पति-स्व. चन्द्रेश्वरी यादव ग्राम-शास्त्रीनगर थाना-कासीम बाजार पो0-जिला-मुंगेर	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	रीना देवी पति-अरविन्द राम ग्राम-पो0-गौरौल थाना-छबीलापुर जिला-नालंदा	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,00,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 388106 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०एस० हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।

31/12/16

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...38.810.6...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1176(14)

पटना, दिनांक 16.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
शा. हि. प्रसाद

सं० सं० 14/एम 11-1/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
फोर्ड हॉस्पिटल, एड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०
रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 3.8.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राजा सिंह पिता-सुरेश सिंह ग्राम-केवाली पो०-थान-घोषी जिला-जहानाबाद	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
2	सीमा कुमारी पति-अजय कुमार ग्राम-पो०+थाना-सुरसंड जिला-सीतामढ़ी	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
3	निक्की कुमारी पिता-विरेंद्र प्रसाद ग्राम-सतबीगही पो०-थाना+जिला-शेखपुरा	बोन सर्जरी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
4	दुम्पी देवी पति-प्रेम कुमार ग्राम-दशरथा पो०-अनिसाबाद थाना-बेउर, जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
5	नरेश यादव पिता-स्व. टेका यादव ग्राम-योगिया सिमरा पो०-श्रीपुर, थाना-बेलागंज जिला-गया	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
6	उषा देवी पति-सत्येन्द्र पंडित ग्राम-बाला बीगहा पो०-हसनपुर थाना+जिला-अरवल	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।

31/11/16
12/11/16

7	ललन चौधरी पिता-स्व० रामसुभग चौधरी ग्राम-रामेश्वरपुर टोला पोस्ट-बसडीहा थाना-दिनारा जिला-रोहतास	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
8	डब्लु कुमार यादव पिता-उजागर यादव ग्राम-पो०-रघुनाथपुर थाना-साहेबपुर कमाल जिला-बेगूसराय	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
9	सरिता देवी पति-श्याम नारायण ग्राम-जुनैदी पो०-रैतर, थाना-सिलाव जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
10	सुनीता देवी पति-विरेन्द्र प्रसाद ग्राम-पो०-अजनौरा थाना-नुरसराय जिला-नालंदा	स्पाईनल सर्जरी रोग	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
11	अनिल कुमार राम पिता-मदन राम ग्राम+पो०-बेहट उत्तरी थाना-लखनौर जिला-मधुबनी	स्पाईन एंड बोन सर्जरी रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
12	ऋषिकेश कुमार पिता-रंधीर कुमार ग्राम-कटवा रसलपुर पो०-अर्जुन सरथुआ थाना-खुदागंज जिला-नालंदा	किडनी रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
13	कुलदेव राय पिता-भिखारी राय ग्राम-कोइरगाबा पो०-जसौली पट्टी थाना-कोटवा जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 85,000 /-(पचासी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 10,85,000 /

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,85,000 / (दस लाख पचासी हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388107 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।

(Handwritten signature)

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...388127.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1177(14)

पटना, दिनांक 16.08.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.8.16